## DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLICITY GOVT. OF NCT OF DELHI BLOCK NO.-9, OLD SECTT., DELHI

(Fax no. 23814081)

No.F.9(16)/18-19/Estt./DIP/LAS/ 10627 - 10628

Dated: 04/06/2018

To

Dy. Secretary (Question Branch) Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi - 54

Sub:- Delhi Legislative Assembly Unstarred Question no. 154 for dated 8/06/2018 asked by Sh. Sanjeev Jha, MLA.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Encl: As above

Yours faithfully

(RAVI BABU TARLA) SECTION OFFICER

No.F.9(16)/18-19/Estt./DIP/LAS/

Dated:

Copy to:

1. Dy. Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Unstarred Question of distribution of the house.

SECTION OFFICER

## सूचना एवं प्रचार निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ब्लॉक 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित:-154 दिनांक:-08/06/2018 प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री संजीव झा क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) सरकार की नीतियों और कल्याण–योजनाओं को प्रचारित करने में सूचना एवं प्रचार विभाग (डीआईपी) की क्या मूमिका है;	निदेशालय सरकार की नीतियों और लोक कल्पाणकारी योजनाओं का प्रचार करता है। निदेशालय संबंधित विभाग की और से विज्ञापन प्रस्ताव मिलने पर तय मानकों (एस ओ पी) और माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार करता है।
(ख) क्या संबंधित विभाग के मंत्री की स्वीकृति के बिना सूचना एवं प्रचार विभाग कोई प्रेस वक्तव्य जारी कर सकता है;	सरकार की सभी प्रेस विज्ञाप्ति / वक्तय्य संबंधित विभाग के मंत्री अथवा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात जारी होते हैं।
(ग) 14 फरवरी, 2015 के बाद से सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा प्रचार हेतु कितनी पहलकदिमयां की गई, और	उपरोक्त 'क' के अनुसार।
(घ) क्या संबंधित मंत्री द्वारा विधिवत् स्वीकृति लेने के बाद भेजी गई किसी विज्ञापन सामग्री को सूचना एवं प्रचार विभाग मना कर सकता है?	जी नहीं। निदेशालय संबंधित विभाग की ओर से विज्ञापन प्रस्ताव मिलने पर तय मानकों (एस ओ पी) और माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विज्ञापन सामग्री का विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार करता है।
	विज्ञापन सामग्री के तय मानकों (एस ओ पी) और माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप न होने की स्थिति में उसे सक्षम प्राधिकारी के पास पुर्नविचार के लिए भेज दिया जाता है। विज्ञापन सामग्री के उपरोक्त तय मानकों पर सही होने के बाद निदेशालय विज्ञापन को जारी कर देता है।

हस्ताक्षर जयके घड़ेगी विमागाध्यक्ष